न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 90/17 सन् 2017

बउनवानी :–1. कोमल प्रसाद पुत्र जुगल किशोर दत्तक पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहामण निवासी ग्राम बिच्छीदौना तहसील मलारना डूँगर

बनाम

1. उप जिला कलेक्टर मालरना डूँगर श्री मुकेश कुमार कायथवाल,
2. देवी लाल पुत्र कुन्दन लाल जाति श्रीमाल जैन निवासी मलारना डूँगर
3. लेण्ड होल्डर, तहसीलदार मलारना डूँगर

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर प्रार्थना टी.आई संख्या 10/2012 उनवानी कोमल प्रसाद बनाम देवीलाल वगै. अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट,1955)

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार अग्रवाल/श्री श्याम मोहन शर्मा, वकील प्रार्थी
2. श्री देवीलाल श्रीमाल जैन स्वयं प्रार्थी संख्या–2

–: निर्णय :– दिनांक 19.2.2018

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर में विचाराधीन वाद सख्या 10/2012 उनवानी कोमल प्रसाद बनाम देवीलाल वगै0 के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरणों को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थी ने एक वाद न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूगर के न्यायालय में बाबत घोषणा खातेदारी , दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमे आराजी ख0न0 244 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा नया ख0न0 336 रकबा 0.46 है0 वाके ग्राम बिच्छीदौना बाबत तहत धारा 19(1)(ए)(ए) खातेदारी प्राप्त करने की इस्तदुआ की है। प्रार्थी की पत्रावली जवाब/बहस प्रा0पत्र धारा 11 सी.पी.सी. नियत है दिनांक 11.10.2017 की बात है कि प्रार्थी तारीख पेशी पर न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय में गया हुआ था उस दिन पीठासीन अधिकारी ने कोर्ट मे ही प्रार्थी से कहा कि फालतू दावे चला रखा है इन्हे तो खारिज कैर देना चाहिए। प्रार्थी ने बडी मुश्किल से तारीख पेशी ली तथा तारीख होने के पश्चात जैसे ही प्रार्थी न्यायालय से बाहर निकला तो प्रतिवादी नम्बर 2 प्रार्थी से बोला कि उसने अप्रार्थी संख्या 1 से बातचीत कर ली है एवं 1–2 तारीख पर प्रार्थी का दावा निश्चित रूप से खारिज हो जावेगा। यह कथन भी किया कि प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बातो से यह आभास हो गया कि न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय मे जैरकार प्रकरण संख्या 10/2012 को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गयो ।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब बहस मे कथन किया कि वाद संख्या 10/12 न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर में निर्णय पर है। यह कथन भी किया कि उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद का निर्णय पूर्व में उपजिला कलेक्टर बौंली, राजस्व अपील अधिकारी तथा डबल बैंच हाईकोर्ट जयपुर से डी.बी. स्पे.एप.(रिट) संख्या 338/2010 का निर्णय दिनांक 27.8.2015 को हो चुका है। यह कथन भी किया कि धारा आरटीएक्ट 19 काश्तकारी कानून पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र धारा 11 का रेसज्यूकेटा के अन्तर्गत आता है। जिसको सुनने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण मे देरी करने की नियत से गलत एवं झूंठे तथ्य अंकित कर झूंठा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

(के.सी. वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

इसलिए प्रार्थी के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर मलरना डूँगर की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो को निराधार व मनगढन्त बताते हुऐ निवेदन किया कि उक्त प्रकरण प्रार्थना पत्र आर्डर 11 सीपीसी की बहस हेतु दिनांक 8.11.2017 को नियत था किन्तु प्रार्थी के वकील द्वारा अपना वकालातनामा विड्रा कर लिया तथा पैरवी करने से इन्कार कर दिया तथा वादी की ओर से वर्तमान में कोई वकील नियुक्त नही है। प्रार्थी बहस मे देरी करना एवं प्रकरण लंबित करना चाहते है। फिर भी यदि प्रकरण संख्या 10/12 बउनवानी कोमल प्रसाद बनाम देवीलाल को अन्य न्यायालय मे अन्तरित किया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नही है।

वकील प्रार्थी की बहस एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅचूता हूँ, कि यद्यपि वकील प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये आरोपों की पुष्टि उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य दस्तावेज से हो नही होती है, किन्तु पीठासीन अधिकारी पर प्रार्थी द्वारा झूंठा आरोप लगाया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा यदि उक्त प्रकरण में सुनवायी की जावेगी तो प्रार्थीगण के मन अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय प्राप्ति को लेकर अंदेशा रहेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र से संबंधित उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय मे जैरकार प्रकरण संख्या 10/12 बउनवानी कोमल प्रसाद बनाम देवीलाल को उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के न्यायालय से सहायक कलेक्टर मुख्यालय सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अग्रिम सुनवायी हेतु स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान को सूचित किया जाता है कि 21.3.2017 को न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय सवाईमाधोपुर के समक्ष उपस्थित होवे। तथा उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 10/12 कोमल प्रसाद बनाम देवीलाल को उक्त दिनांक से पूर्व न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय सवाईमाधोपुर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(के0सी0 वर्मा)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर